

रवक
री, डूंगला,
नाम गांव व

- (11) नवप्रल
- (12) गेक
- (13) सोत
- (14) श
- (15) श
- (16) श

पत्रावली रजिस्ट्रार से तलब की गई। प्रमाण पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने वादीय सन्देश एवं परिवादी संख्या 1 से 4 तक की और से राजीनामा पत्रावली प्रस्तुत राजीनामा को वकील वादी एवं वकील परिवादी ने तस्दीक किया गया। पक्षकारान एवं वकील छाय पक्ष ने राजीनामा स्वीकार किया गया जिसको तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी संख्या 5 लगायत 13 बावजूद सूचना के उपरिष्ठत नबी हुए न ही इनकी और से किसी ने उपरिष्ठति की गई। अतः इनके विकट एक पक्षिय कामगिरी का आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादीय का वाद पत्र छिमानुसार डिक्री किया जाता है। वादीय का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तथा आदेश दिया जाता है कि मौजा आलोद पत्वार मण्डल आलोदके खाला संख्या 214, 94, 215, 213 में वादीय का 1/10 वा दिरसा व परिवादी संख्या 1 से लगायत 4 तक का प्रत्येक का 1/10 दिरसा एवं खाला संख्या 81 में वादीय का 1/20 वां दिरसा तथा परिवादी संख्या 1 से लगायत 4 तक का प्रत्येक का 1/20, 1/20 एक दिरसा है। इसी एक दिरसा के अनुसार वादीय एवं परिवादी संख्या 1 से 4 तक के अनुसार बंधित करने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार डिक्री पत्र भूखि धेकर सैलफ पत्रावली से। परिवादी संख्या 5 से लगायत 13 तक सख्वातेदार धेके से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। इनके विकट कोर्ट दाद नबी चाये गइ है। मिणिय लिखाया जाकर खुले व्यापलय में सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमाट बैकल नमबल से कम से।

28/09/14



कोर्ट
वादी श्री N.12 के
द्वारा फेस डी
रिपोर्ट करें।

न्यायालय उपर

1. श्रीमती संतोष (श)
आलोद, तहसील
1. श्री उदयलाल
तहसील डूंगला
2. श्रीमती भगव
तहसील डूंगला
3. श्रीमती सु
वर्ष, निवा
4. श्रीमती व
42 वर्ष,
श्री शं
डूंगला
5. श्रीमती
निवा
6. श्रीम
निवा
7. श्री
श्री
8. श्री
9. श्री
- 10.